न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/63/2016

उनवान

1. नन्दा पिता रतना ब्राह्मण निवासी जोजवा, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. सोहन पिता रतना ब्राह्मण निवासी जोजवा, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. भोजराज पिता रतना ब्राह्मण निवासी जोजवा, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4. सांवर मल पिता भूरा लाल ब्राह्मण निवासी जोजवा मृतक के विधिक वारिसान :–
   4/1 श्रीमती गीता पत्नी सांवर मल ब्राह्मण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
   4/2 शिवप्रकाश पिता सांवर मल ब्राह्मण नाबालिग जरिये नैसर्गिक माता व संरक्षक श्रीमती गीता पत्नी सांवर मल ब्राह्मण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
5. मु0 कमला बेवा भूरा लाल ब्राह्मण निवासी जोजवा, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
6. श्रीमती घीसी बेवा मोहन लाल ब्राह्मण निवासी जोजवा, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
7. श्रीमती पार्वती बेवा काशीराम ब्राह्मण निवासी जोजवा, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
8. मांगी लाल पिता एकलिंग ब्राह्मण निवासी जोजवा, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. कन्हैया लाल पिता रोडा ब्राह्मण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. मैनेजर बैंक ऑफ बडौदा शाखा माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण
संख्या 172/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.12..2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री एस एल वैद, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री आर सी सारस्वत अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 22.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जोजवा तहसील माण्डलगढ की सरहद में स्थित साबिक बन्दोबस्त आराजी नम्बर 875 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा भूमि वादी के पिता श्री रोडा पिता श्री नारायण ब्राह्मण के खाते व कब्जेयाबी की भूमि है। उक्त वर्णित आराजी के वर्तमान भू प्रबन्ध में नवीन आराजी नम्बर 1128 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा आराजी नम्बर 1128/1 रकबा 5 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा अंकित है। गत बन्दोबस्त आराजी नम्बर 875 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा के वर्तमान रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा दर्ज हुआ जिसमें से 9 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग में अवाप्त कर दी गई। वादी के पिता रोडा और वादी सतत् निर्विवाद साधिकारगत बन्दोबस्त आराजी नम्बर 875 वर्तमान आराजी नम्बर 1128, 1128/1 पर गत बन्दोबस्त नक्शे के अनुसार मौके पर विगत 50 वर्षो

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

से काबिज होकर काश्त व भुगतभोग करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में वादी ने वादी के खाते की भूमि की सीमा पर सीमेण्ट व पत्थर की पक्की दिवार बना रखी है।

2. वादी के खाते व कब्जेयाबी की आराजी नम्बर 1128, 1128/1 के दक्षिणी दिशा में प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 1125, 1126/1, 1126/2 अवस्थित है। वादी के खाते की आराजी नम्बर 1128, 1128/1 और प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 1125, 1126 को विभाजन के लिए मौके पर सीमेण्ट और पत्थर की दिवार बनी हुई है वादी और प्रतिवादीगण की आराजियात की सही सही पहचान विगत 50 वर्षो से की जा सकती है। प्रतिवादीगण के खाते व कब्जेयाबी की ग्राम जोजवा स्थित गत बन्दोबस्त आराजी नम्बर 874 रकबा15 बीघा 17 बिस्वा भूमि का वर्तमान रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा बनता है। प्रतिवादीगण के खाते की 13 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग में अवाप्त कर ली गई है। वर्तमान में प्रतिवादीगण के खाते में आराजी नम्बर 1125 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, 1126/1 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 1126/2 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा किता 3 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है। भू प्रबन्ध विभाग ने वादी के खाते व कब्जेयाबी व गत बन्दोबस्त आराजी नम्बर 875 का गत प्रबन्ध के नक्शें के मुकाबले आराजी नम्बर 1128 का नक्शा छोटा कर दिया जिससे नपती करने पर 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि आराजी नम्बर 1128 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर आराजी नम्बर 1125 व 1126 अवस्थित है। वादी के खाते की गत बन्दोबस्त आराजी नम्बर 875 की दक्षिणी मेड एकदम सीधी नहीं होकर एक कोना गत बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 874 में पडता था । वर्तमान भू प्रबन्ध में आराजी नम्बर 1128 और 1125 , 1126 के बीच नक्शे में सीधी लाईन कर दी गई है वर्तमान और गत भू प्रबन्ध के नक्शों के अवलोकन से त्रुटि साफ जाहिर होती

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। प्रतिवादीगण के खाते की वर्तमान आराजी नम्बर 1125, 1126,/1, 1126/2 नपती करने पर 21 बीघा 17 बिस्वा भूमि बनती है । प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज रकबे से नक्शे में 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि ज्यादा बनती है। प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज रकबे से नक्शे में 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि ज्यादा बनती है । प्रतिवादीगण के खाते की आराजी नम्बर 1126 की उत्तरी तरफ आराजी नम्बर 1125 के उत्तरी पूर्वी कोने से कम होगी।

3. वादी के खाते व कब्जे की साबिक बन्दोबस्त आराजी नम्बर 875 प्रतिवादीगण के खाते की आराजी नम्बर 874 के पुराने (भू प्रबन्ध गत) नक्शो के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान नक्शे गलत बनाये हैं। वादी व प्रतिवादीगण के खाते में भूमि बराबर दर्ज की गई है लेकिन नक्शों की गलत स्थिति के कारण वादी व प्रतिवादीगण के बीच सीमा विवाद बना रहता है। वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 20. 9.2010 को वादी के खाते व कब्जे के साबिक बन्दोबस्त आराजी नम्बर 875 के पुराने नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शा बनाये जोन के लिए वर्तमान नक्शे में संशोधन करने हेतु कहा तो इंकार हो गये व धमकी दी की प्रतिवादीगण वादी के कब्जेयाबी भूमि प्रतिवादीगण के नक्शे में दर्ज है। वादी को बेदखल कर देंगे। अतः वादी के खाते व कब्जेयाबी की ग्राम जोजवा स्थित साबिक बन्दोबस्त आराजी नम्बर 875 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा वर्तमान आराजी नम्बर 1128 , 1128/1, रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा (9 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में निकालने के बाद) रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा प्रतिवादीगण के खाते की गत बन्दोबस्त आराजी नम्बर 874 तथा वर्तमान आराजी नम्बर 1125, 1126 के नक्शों में साबिक बन्दोबस्त नक्शों के अनुसार संशोधित किये जाने की डिक्री बहक वादी व विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे तथा वादी के पक्ष में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि वादी के खाते के साबिक बन्दोबस्त आराजी नम्बर 875 के नक्शे अनुसार वादी के कब्जेकाश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप नस्व्यं करें एवं न अन्य से करावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में तनकियात कायम की है परन्तु तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित नहीं कर वैधानिक त्रुटि की है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि साबिक रिकार्ड एवं साबिक नक्शा ही प्रत्यर्थी/वादी का मुख्य आधार थां। इस बाबत किस प्रकार रकबा वादी के नवीन अभिलेख में बढ गया । इस पर किसी भी रजस्व एजेन्सी, सर्वे टीम इत्यादि ने कोई टिप्पणी नहीं की , क्योंकि साबिक रिकार्ड का नाम 152.5 फिट की जरीब के अनुसार है तथा नवीन राजस्व रेकार्ड 132 एक सौ बतीस फिट की जरीब से बनाया गया है। इस प्रकार क्षेत्रफल भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पुराने रिकार्ड से किस किस पक्षकार का ज्यादा पाया गया। इस पर न तो प्रत्यर्थी/वादी ने साक्ष्य प्रस्तुत की और अवर न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकालने में भारी भूल की है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपने लिखित कथन में आक्षेप के साथ अभिकथन दर्ज करते हुए उल्लेख किया कि आराजी नम्बर 2073/112 का भू भाग भी साबिक आराजी नम्बर 875 से ही बनाया गया, किन्तु सर्वे टीम ने भी उसका नाप नहीं करके गंभीर त्रुटि की है। ऐसा करने पर किस पक्षकार का कितना रकबा कम होकर किस पक्षकार के रकबे में शामिल हो जाने पर प्रतिवादीगण का नवीन रिकार्ड का क्षेत्रफल साबिक रिकार्ड के अनुसार जितना होना चाहिये, उतना ही बनेगा, ऐसा निष्कर्ष अवर न्यायालय ने न निकाल कर अनुचित, असंगत , मनमाने ढंग से प्रत्यर्थी/वादी का दावा डिकी एवं निर्णय करने में भारी भूल की है। इस प्रकार एकपक्ष को लाभ देकर दूसरे पीडित पक्ष को हानि पहूँचाई है, जो कतई न्याय की कसौटी पर खरा नहीं कहा जा सकता।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि सामान्य रूप से गणित के ज्ञान से साबिक रिकार्ड 152.5 के नाप से नक्शा व रकबा बनाया गया । नवीन भू माप में 132 फिट की जरीब काम में ली गई है तो क्या वादी के साबिक आराजी नम्बर 875 का रकबा नवीन आराजी नम्बरों के क्षेत्रफल के बराबर है या नहीं । इस तरह साबिक आराजी नम्बर 874 का कुल क्षेत्रफल के बराबर है या नहीं। इसी तरह साबिक आराजी नम्बर 874 का कुल क्षेत्रफल नवीन आराजी नम्बरों का क्षेत्रफल बराबर है या नहीं है । इस बाबत सर्वे टीम द्वारा तुलनात्मक दृष्टिकोण से किसके खाते से कम है और किसके खाते में ज्यादा है इस बाबत कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की गई। इसलिए

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निष्कर्ष निकाल पाना कठिन है। इस कारण जितनी बार सर्वे टीम द्वारा सर्वे कराया गया सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। साथ ही सर्वे टीम को किस मुश्तकिल बिन्दु से नाप कराया जाना है, इस बारे में सर्वे टीम को कोई दिशा निर्देश नहीं दिये जाने से सारी रिपोर्ट निरर्थक होकर विचार किए जाने योग्य नहीं है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा सर्वे संबंधी सुझाव दिया गया कि मुश्तकिल पोईण्ट से सारे चक का भू–माप कराने पर ही वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवाद का हल होगा। यह विवाद्यक भी बिन्दु संख्या 10 के रूप में बनाया गया , जो प्रतिवादीगण के बयानों से सिद्ध है जिसे सिद्ध नहीं मानकर अवर न्यायालय ने गलती की है। सर्वे या भू–माप करना किसी भी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। बल्कि सर्वे करने वाले भू–मापक विशेषज्ञों से ही करवाने पर विवाद का हल निकल सकता था। इस बाबत भू प्रबन्ध विभाग की सर्वे टीम के सिवाय अन्य कोई विशेषज्ञ व दक्ष नहीं है। सर्वे करने बाबत किसी भी तहसील स्तर की सर्वे टीम ने भू मापक यंत्रों का वक्त सर्वे प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि पटवारी के पास उपलब्ध कपड़े के लट्ठे के नक्शे से सर्वे किया गया , जिससे कोई सार्थक परिणाम व निष्कर्ष विवाद का हल निकलना संभव नहीं था । ऐसे सर्वे की रिपोर्ट पर अवर न्यायालय ने विचार करके पक्षपात रहित निर्णय एवं डिक्री पारित करने मे गंभीर रूप से दोष कारित किया है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण की वादग्रस्त आराजियातएवं प्रत्यर्थी/वादी को वादग्रस्त आराजियात का सर्वे साबिक राजस्व नक्शा को आधार मानते हुए भू प्रबन्ध विभाग की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सर्वे टीम से सर्वे कराया जाना न्यायोचित हैं। इसके बिना मामले का हल निकलना संभव नहीं है। ऐसा सही सर्वे करने पर ही मामले का वास्तविक रूप से हल एवं निष्कर्ष निकलना संभव है। इस हेतु आवश्यक होने वाले उपगत व्यय पक्षकारों से लिया जावे तो अपीलार्थीगण इस हेतु सहमत है। ऐसी सहमति भी साक्ष्य एवं लिखित कथन एवं लिखित बहस से भी प्रकट होती है , किन्तु अवर न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज किया है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2011 को नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के दूसरे पेरा में '' आराजी नम्बर 875 की दक्षिणी मेड के घुमाव पर 4गटटा भूमि कम पाई गई जो मांगी लाल, पार्वती, नन्दराम, के कब्जे में हैं '' इससे केवल यह साबत साफ हो गई है कि पुराने नाप से 0.04 चार बिस्वा भूमि सेटलमेण्ट विभाग ने वादी के नवीन रेकार्ड में ज्यादा भूमि दर्ज कर दी जो करीब 3484 वर्ग फिट भूमि वादी के खाते में ज्यादा क्यों दर्ज हुई, इस बिन्दु पर अवर न्यायालय ने कोई विचार नहीं करके अवैधानिकता एवं अनियमितता बरती है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि नायब तहसीलदार काछोला को अवर न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजियात का सर्वे करने हेतु पत्र क्रमांक 387 दिनांक 29.5.2013 को अधिकृत किया था , जिसकी अनुपालना में दिनांक 20.1.2014 को पत्र क्रमांक एनटी/2014/263 के अनुसार प्रेषित रिपोर्ट पर अवर न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया, उसके पेरा संख्या 03 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि का रकबा बरारी करने पर न तो वादी की भूमि जमाबंदी में दर्ज रकबे से बढती है व न ही प्रतिवादीगण की भूमि जमाबंदी में दर्ज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबे से कम पडती है। इसी के पेरा संख्या 05 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य की विवादित मेड मौके पर वर्तमान नक्शे के अनुसार सीधी नहीं होकर गत भू माप के अनुसार ही है। इस प्रकार यदि उक्त रिपोर्ट का अवलोकन अवर न्यायालय द्वारा किया जाता तो प्रत्यर्थी/वादी का वाद ही खारिज हो जाता । इस प्रकार अवर न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट की अनदेखी कर सम्पूर्ण मामले का निष्कर्ष व परिणाम गलत तौर से विवेचना करके त्रुटि की है। इसलिए अवर न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध के कर्मचारियों ने साबिक नम्बर से हाल नम्बर बनाये जिसके मिलान खसरा में प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण का नाम उप कृषक के रूप में दर्शाया है जबकि उक्त आराजियात पर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है एवं सेटलमेण्ट के बाद भी अपीलार्थीगण/वादीगण ही काबिज काश्त है तथा लगान भी अपीलार्थीगण ही जमा करा रहे हैं। इस तथ्य को अपीलार्थीगण ने भली भॉति दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया है। उसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज कर दिया जो निरस्त योग्य है।

15. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवदन है कि ग्राम जोजवा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा स्थित साबिक आराजी नम्बर 875 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थी के पिता रोडा पिता नारायण ब्राह्ण के खाते व कब्जेयाबी की भूमि है । उक्त आराजी के भू प्रबन्ध के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपरान्त आराजी नम्बर 1128 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 1128/1 रकबा 5 बिस्वा किता 2 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा अंकित है । गत बन्दोबस्त आराजी नम्बर 875 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा के वर्तमान रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा दर्ज हुआ जिसमें से 9 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग में अवाप्त कर दी गई। प्रत्यर्थी के पिता रोडा और प्रत्यर्थी गत वादग्रस्त आराजी पर गत बन्दोबस्त नक्शे के अनुसार मौके पर विगत 50 वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थी ने अपने पत्थर व सीमेण्ट की पक्की दिवार बना रखी है।

16. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थी के खाते व कब्जे की आराजी नम्बर 1128, 1128/1 के दक्षिणी दिशा में अपीलार्थीगण की आराजी नम्बर 1125, 1126/1, 1126/2 अवस्थित है। प्रत्यर्थी एवं अपीलार्थीगण की आराजी के मध्य विभाजन के लिए पत्थर की दिवार बनी हुई है। अपीलार्थीगण के खाते व कब्जे की भूमि आराजी नम्बर 874 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा का वर्तमान में 21 बीघा 2 बिस्वा रकबा बनता है, जिसमें से 13 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवाप्त कर ली । वर्तमान में अपीलार्थीगण के खाते में आराजी नम्बर 1125 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 1126/1 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 1126/2 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा किता 3 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है।

17. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि भू प्रबन्ध विभाग ने प्रत्यर्थी के खाते व कब्जेयाबी की गत बन्दोबस्त आराजी नम्बर 875 का गत भू प्रबन्ध के नक्शे के मुकाबले आराजी नम्बर 1128 का नक्शा छोटा कर दिया । जिससे नपती करने पर 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि कम पडती है। उक्त कमी रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा भूमि आराजी नम्बर 1128 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर आराजी नम्बर 1125, 1126

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में अवस्थित है। प्रत्यर्थी के खाते की गत बन्दोबस्त आराजी नम्बर 875 की दक्षिणी मेड एकदम सीधी नहीं होकर एक कोना गत बन्दोबस्त आराजी नम्बर 874 में पडता था वर्तमान भू प्रबन्ध में आराजी नम्बर 1128 और 1125 , 1126 के बीच नक्शे में सीधी लाईन कर दी गई है । वर्तमान और गत भू प्रबन्ध के नक्शे के अवलोकन से त्रुटि साफ दिखाई देती है। अपीलार्थीगण के खाते की वर्तमान आराजी नम्बर 1125, 1126/1, 1126/2 नपती करने पर 21 बीघा 1 बिस्वा भूमि बनती है। अपीलार्थीगण के खाते में दर्ज रकबे से नक्शे में 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि ज्यादा बनती है। प्रत्यर्थी/वादी ने अधिनस्थ न्यायालय में अपने कथनों को पर्याप्त साक्ष्य सबूत, राजस्व रेकार्ड एवं गत व हाल नक्शे से साबित कराया है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जावे।

18. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जोजवा तहसील माण्डलगढ की सरहद में स्थित साबिक बन्दोबस्त आराजी नम्बर 875 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा भूमि वादी के पिता श्री रोडा पिता श्री नारायण ब्राह्मण के खाते व कब्जेयाबी की भूमि है। उक्त वर्णित आराजी के वर्तमान भू प्रबन्ध में नवीन आराजी नम्बर 1128 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा आराजी नम्बर 1128/1 रकबा 5 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा अंकित है। गत बन्दोबस्त आराजी नम्बर 875 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा के वर्तमान रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा दर्ज हुआ जिसमें से 9 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग में अवाप्त कर दी गई। इसी प्रकार वादी के खाते व कब्जेयाबी की आराजी नम्बर 1128, 1128/1 के दक्षिणी दिशा में प्रतिवादीगण की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 1125, 1126/1, 1126/2 अवस्थित है। वादी के खाते की आराजी नम्बर 1128, 1128/1 और प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 1125, 1126 को विभाजन के लिए मौके पर सीमेण्ट और पत्थर की दिवार बनी हुई है। वादी के खाते व कब्जे की साबिक बन्दोबस्त आराजी नम्बर 875 प्रतिवादीगण के खाते की आराजी नम्बर 874 के पुराने (भू प्रबन्ध गत) नक्शो के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान नक्शे गलत बनाये हैं। वादी व प्रतिवादीगण के खाते में भूमि बराबर दर्ज की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होने पर तनकियात कायम की एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर तनकी नम्बर 1 से तनकी नम्बर 6 का एक साथ निर्णय पारित किया है।

19. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बनाई गई तनकियात में से तनकी नम्बर 5 '' आया भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गत बन्दोबस्त के आराजी नम्बर 874 व 875 की आकृति में बिना किसी आधार के परिवर्तन कर दिया गया है जिससे प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 1125, 1126 का रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे के मुकाबले 1 बीघा 6 बिस्वा बढ जाता है व वादी की वर्तमान आराजी नम्बर 1128 का दक्षिणी हिस्से में से 1 बीघा 6 बिस्वा कम कर भूमि प्रतिवादी की आराजी नम्बर 1125 व 1126 में शामिल कर दी गई जो गत आराजी नम्बर 875 का भाग है। वर्तमान भू प्रबन्ध नक्शे को गत भू प्रबन्ध के नक्शे के अनुसार संशोधित किया जाना आवश्यक एवं उचित है । '' अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसके संबधं में तहसीलदार माण्डलगढ मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का ने उभयपक्ष की उपस्थिति में दिनांक 18.10.2011 को मौका पर्चा एवं नजरी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नक्शा तैयार किया गया । जिसके अनुसार " वादी द्वारा प्रस्तुत गत बन्दोबस्त के नक्शे की छाया प्रति से आराजी नम्बर 878, 877, 876 के तिमेडे व आराजी नम्बर 876 के उत्तरी पूर्वी कोने व आराजी नम्बर 878 के उत्तरी पश्चिमी कोने को आधार मानकर आराजी नम्बर 875, 874 की नपती की गई। आराजी नम्बर 878 व 877 की मेडों को सत्यापित किया जाकर आराजी नम्बर 877, 876, 873 के तिमेडे से आराजी नम्बर 875 व 874 की पूर्वी मेड का सीमांकन किया गया तथा आराजी नम्बर 878, 877 की पश्चिमी मेड के समलम्ब जरीब चलाकर आराजी नम्बर 875 व 874 के मध्य की मेड नक्शे के अनुसार मौके पर कायम की गई। आराजी नम्बर 877 व 878 की मेड मौके पर नक्शे अनुसार सही पाई गई । आराजी नम्बर 875 के दक्षिणी पश्चिमी कोना सही पाया गया । जबकि आराजी नम्बर 875 के दक्षिणी पूर्वी कोना साढे चार गट्टा (152.5 फिट वाली जरीब) कम जबकि आराजी नम्बर 875 की दक्षिणी मेड के घुमाव पर 4 गट्टा कम पाई गई जो मांगी लाल पिता एकलिंग , पार्वती बेवा काशीराम, नन्द राम पिता रतन लाल शर्मा निवासी जोजवा के कब्जे में है तथा आराजी नम्बर 875 की दक्षिणी मेड पर पूर्व में निर्मित दिवार आराजी नम्बर 875 में ही पाई गई जो मौके पर ढसी हुई है। साबिक बन्दोबस्त के आराजी नम्बर 875 में वादी के अलावा अन्य का कब्जा ट्रेस पर अलग से दर्शाया गया । जबकि आराजी नम्बर 874, 875 का नये नक्शे से मिलान अलग से लाल स्याही से दर्शाया गया। प्रतिवादीगण के पुत्र भैरू लाल , सोहन लाल, प्रहलाद, मांगी लाल शर्मा निवासी जोजवा वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहे । पर्चा मौका बनाया जाकर हाजिरान को सुनाया गया । हस्ताक्षर निशानी लिये गये। प्रतिवादीगण के पुत्र मौके से चले गये। "

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

20. उक्त मौका रिपोर्ट का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया । उक्त रिपोर्ट से प्रतिवादीगण के पुत्र सहमत नहीं थे इसलिए उनके द्वारा हस्ताक्षर नही किये गये। उक्त रिपोर्ट नायब तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिस पर दिनांक 23.12.2012 को वकील विपक्षी ने उक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर आपत्ति की एवं नक्शा ट्रेश में अंकितानुसार रकबे की मुश्तकिल निशान से नपती की मांग की । जिस पर वकील वादी को कोई आपत्ति नहीं होने से पुनः नायब तहसीलदार माण्डलगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर वर्तमान ट्रेश अनुसार नपती पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जिस पर एक टीम गठित की गई जिसमें रामेश्वर लाल जाट भू अभिलेख निरीक्षक काछोला, शंकर लाल स्वर्णकार भू अभिलेख निरीक्षक बीगोद व चैन सिंह राजपूत पटवारी श्रीनगर एवं स्थानीय पटवारी सम्मिलित थे। इनके द्वारा दिनांक 8.5.2012 को उभयपक्ष को सूचित किया गया एवं उभयपक्ष की उपस्थिति में मुश्तकिल मुकाम आराजी नम्बर 906 आता चाह से जरीब चलाकर आराजी नम्बर 875 व 874 की पश्चिम सीमा की तीनों मेडो पर नापकर मौके पर वादी व प्रतिवादीगण के समक्ष निशान लगाये गये जिसमें वादी व प्रतिवादी सहमत है। आराजी नम्बर 874 व 875 की मेड का पश्चिमी कोना नक्शे अनुसार सही पाया गया । मौके पर पैमाईश के दौरान ही प्रतिवादीगण मौके से चले गये। उक्त रिपोर्ट के अनुसार तीनों मेडों के पूर्वी बिन्दु को नापने पर खेतों में स्थित संतरे के बगीचे के कारण एवं सघन पैड व दूरी अधिक होने से जिस बिन्दु तक पैमाईश करनी थी वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देने से पैमाइश सही नहीं हो पाई थी।

21. इसके उपरान्त दिनांक 6.5.2013 को मौका कमिश्नर रिपोर्ट पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पुनः नायब

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
शीलवाड़ा

तहसीलदार काछोला को कमिश्नर नियुक्त कर 2 पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक काछोला सर्कल के साथ वादग्रस्त आराजी का आता चाह नम्बर 906 से उभयपक्षकारान की उपस्थिति में नपती कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । जिस पर दिनांक 26.6.2013 को पुनः भू अभिलेख निरीक्षक काछोला, पटवारी हल्का काछोला, पटवारी हल्का झंझोला एवं पटवारी हल्का जोजवा की टीम द्वारा मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शे के तैयार किया। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भी प्रतिवादीगण उपस्थित रहे परन्तु हस्ताक्षर नहीं कर मौके से चले गये। टीम द्वारा प्रतिवादीगण को नजरी नक्शे के अनुसार मौके की स्थिति से अवगत कराया गया परन्तु वे सहमत नहीं हुए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में तनकी नम्बर 1 से 6 का निर्णय एकसाथ पारित करते हुए अंकित किया कि :–

'' तनकी नम्बर 1 से 6 को साबित करने का भार वादी पर था । वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2018 से 20121 प्रदर्श 1, प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी संवत 2063 से 2066 , प्रदर्श 3 मिलान खसरा भू प्रबन्ध विभाग, प्रदर्श 4 नकल राजस्व नक्शा भू प्रबन्ध विभाग, प्रदर्श 5 नक्शा ट्रेश हाल बन्दोबस्त ग्राम जोजवा, प्रदर्श 6 नकल जमाबंदी संवत 2063 से 2066 , प्रदर्श 7 पर्चा मौका ग्राम जोजवा, प्रदर्श 8, 9 नजरी नक्शा ग्राम जोजवा, प्रदर्श 10 व 11 रिपोर्ट तहसीलदार माण्डलगढ, प्रदर्श 12 पर्चा मौका ग्राम जोजवा, प्रदर्श 13 तहसीलदार माण्डलगढ की रिपोर्ट एवं प्रदर्श 14, 15 नकल जमाबंदी संवत 2022 स 2025 प्रतिवादीगण के अनुसार गत बन्दोबस्त आराजी नम्बर 875 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल बन्दोबस्त के दौरान आराजी नम्बर 1128, 1128/1 कायम होकर रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि दर्ज हुई। इसमें से 09 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में जाने के बाद 10

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बीघा 09 बिस्वा भूमि शेष रही जो प्रतिवादीगण के खाते की गत बन्दोबस्त आराजी नम्बर 874 जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 1125, 1126 के नक्शें का साबिक बन्दोबस्त नक्शे के अनुसार संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त तथ्यों की ताईद रिपोर्ट तहसीलदार, माण्डलगढ प्रदर्श 10 एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 18.10.2011 प्रदर्श 7 एवं नक्शा ट्रेश गत बन्दोबस्त प्रदर्श 8 तथा नकल नक्शा ट्रेश हाल बन्दोबस्त प्रदर्श 9 से साबित होता है। इसी प्रकार रिपोर्ट तहसीलदार माण्डलगढ प्रदर्श 12, 13 अनुसार भी वर्तमान भू माप नक्शे व गत भू माप की तुलना करने पर आराजी नम्बर 875 व 874 की मेड वर्तमान आराजी नम्बर 1125, 1126 में दिनांक 18.10.2011 को नाप के बाद प्रस्तुत नक्शा दर्शाये अनुसार नक्शें को दुरूस्त करना उचित मानते हुए भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शे में परिवर्तन किया जाना मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया ।

22. न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 3.6.2019 को तहसीलदार माण्डलगढ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर वास्तविक व स्पष्ट मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । जिस पर तहसीलदार माण्डलगढ की उपस्थिति में दिनांक 13.6.2019 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार, भू अभिलेख, माण्डलगढ द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उनके पत्रांक भू अ/2019/1319 दिनांक 14.6.2019 द्वारा न्यायालय हाजा में प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । उक्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि " ग्राम जोजवा की आराजी नम्बर 1125 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 1126/1 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 1126/2 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा नन्दा पिता रतना, शिवप्रकाश पिता सांवरमल ना बालिग बबिलायत माता गीता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्नी सावरमल, कमला बेवा भूरा लाल, सोहन, भोजराज पिता रतन लाल, घीसी बेवा मोहन , पार्वती बेवा काशीराम, मांगीलाल पिता एकलिंग ब्राह्मण निवासी जोजवा के नाम पर दर्ज रेकार्ड है व आराजी नम्बर 1128 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 1128/1 रकबा 05 बिस्वा किता 2 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा कन्हैया लाल पिता रोडा ब्राह्मण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। मौके पर प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल की सत्यप्रतिलिपि अनुसार वर्तमान आराजी नम्बर 1125, 1126 गत भू प्रबन्ध के आराजी नम्बर 874 से बने हैं व इसी प्रकार वर्तमान आराजी नम्बर 1128 गत भू प्रबन्ध के आराजी नम्बर 875 से बने हैं। मौका देखने पर मौके पर दोनों पक्षों का कब्जा गत भू प्रबन्ध के नक्शे के अनुसार पाया गया। गत भू प्रबन्ध के आराजी नम्बर 874 व 875 के मध्य की मेड सीधी नहीं होकर मौके अनुसार घुमावदार स्थिति में है। जिसे वर्तमान नक्शे में एकदम सीधी लाईन के रूप में दर्शाया गया है । गत भू प्रबन्ध के नक्शे से क्षेत्रफल गणना करने पर दोनों पक्षों के क्षेत्रफल में जमाबंदी में दर्ज क्षेत्रफल में कोई कमी बेशी नहीं होती है व दोनों पक्ष गत भू प्रबन्ध के नक्शे अनुसार काबिज होने से वर्तमान नक्शे का गत भू प्रबन्धा के नक्शे अनुसार परिवर्तन करने पर मौके की स्थिति में कोई परिवर्तत नहीं होता है व जमाबंदी के क्षेत्रफल मे भी कोई प्रभाव नहीं पडता है। वर्तमान नक्शे में परिवर्तन नहीं करने पर आराजी नम्बर 1128 का 1.06 बीघा रकबा नक्शे अनुसार आराजी नम्बर 1125 व 1126 में सम्मिलित रह जाता है। पर्चा मौका तैयार कर पढकर सुनाया गया एवं उपस्थित के हस्ताक्षर लिये गये। ''

23. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 18.10.2011 एवं न्यायालय हाजा के निर्देश पर तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 13.6.2019 का अवलोकन किया गया । उक्त रिपोर्ट एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नक्शा भू प्रबन्ध के पूर्व का एवं वर्तमान नक्शे का तथा राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने से यह तथ्य प्रकट होता है कि **गत भू प्रबन्ध के आराजी नम्बर 874 व 875 के मध्य की मेड सीधी नहीं होकर मौके अनुसार घुमावदार स्थिति में है। जिसे वर्तमान नक्शे में एकदम सीधी लाईन के रूप में दर्शाया गया है । गत भू प्रबन्ध के नक्शे से क्षेत्रफल गणना करने पर दोनों पक्षों के क्षेत्रफल में जमाबंदी में दर्ज क्षेत्रफल में कोई कमी बेंशी नहीं होती है व दोनों पक्ष गत भू प्रबन्ध के नक्शे अनुसार काबिज होने से वर्तमान नक्शे का गत भू प्रबन के नक्शे अनुसार परिवर्तन करने पर मौके की स्थिति में कोई परिवर्तत नहीं होता है व जमाबंदी के क्षेत्रफल मे भी कोई प्रभाव नहीं पडता है।**

24. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे यद्यपि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर विवेचन नहीं कर तनकी नम्बर 1 से 6 का विवेचन एक साथ किया गया है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, भू प्रबन्ध के पूर्व नक्शे व हाल नक्शे तथा जमाबंदी भू प्रबन्ध से पूर्व व हाल का अवलोकन कर भू प्रबन्ध के दौरान नक्शे में किये गये परिवर्तन को संशोधन करने पर रकबा की कमी बेशी को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है।

25. अपीलार्थीगण अपने अपील मेमो अंकित कथनों को दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्टि कराने में असफल रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें हैं।

26. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

डिक्री दिनांक 5.12.2015 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

27. निर्णय आज दिनांक 22.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

22/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 63 / 2016

उनवान

1. नन्दा पिता रतना ब्राह्मण निवासी जोजवा, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. सोहन पिता रतना ब्राह्मण निवासी जोजवा, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. भोजराज पिता रतना ब्राह्मण निवासी जोजवा, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4. सांवर मल पिता भूरा लाल ब्राह्मण निवासी जोजवा मृतक के विधिक वारिसान :–

4 / 1 श्रीमती गीता पत्नी सांवर मल ब्राह्मण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

4 / 2 शिवप्रकाश पिता सांवर मल ब्राह्मण नाबालिग जरिये नैसर्गिक माता व संरक्षक श्रीमती गीता पत्नी सांवर मल ब्राह्मण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

5. मु0 कमला बेवा भूरा लाल ब्राह्मण निवासी जोजवा, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
6. श्रीमती घीसी बेवा मोहन लाल ब्राह्मण निवासी जोजवा, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
7. श्रीमती पार्वती बेवा काशीराम ब्राह्मण निवासी जोजवा, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
8. मांगी लाल पिता एकलिंग ब्राह्मण निवासी जोजवा, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. कन्हैया लाल पिता रोडा ब्राह्मण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. मैनेजर बैंक ऑफ बडौदा शाखा माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 172/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.12..2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री एस एल वैद, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री आर सी सारस्वत अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/63/2016** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 22.8..2019 को अपीलाण्ट्स की ओर से श्री एस एल वैद प्रत्थर्थी संख्या 1 के वकील श्री आर सी सारस्वत एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 22.8.. 2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.12. 2015 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 22.8..2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

22/8/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस